

6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-125/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026
डा० ऋचा ऋग्वेद, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), सदर अस्पताल, मधेपुरा
के प्रभार रहित अवधि दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 08.01.2023 तक को निम्नरूप में
विनियमित किया जाता है:-

1	दिनांक 06.10.2022 से 20.12.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)
2	दिनांक 21.12.2022 से 25.12.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
3	दिनांक 26.12.2022 से 30.12.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)
4	दिनांक 31.12.2022 से 08.01.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन
प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-125/2024-

1926/25

पटना, दिनांक 10/8/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त
(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक
/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/डा० ऋचा ऋग्वेद, विशेषज्ञ चिकित्सा
पदाधिकारी(स्त्री रोग) सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

4